







### 9 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबोकर ले ली जान, 15 वर्षीय किशोर हिरासत में

संवाददाता-गोरखपुर। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि बच्चा आखिरी बार पड़ोस में रहते वहां एक किशोर के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने तत्काल उस 15 वर्षीय लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी किशोर ने बताया कि वह शराब के नशे में था और उसी दौरान उसने बच्चे को तालाब में धुका दे दिया, जिससे उसकी गहका मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पड़ोस में रहने वाले 15 वर्षीय बाल अचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।



दी। सोमवार सुबह करीब 10 बजे लेवले पट्टी के पास स्थित एक तालाब में बच्चे की लाश मिलने की सूचना मिली। नौक पर पहुंची गोरखनाथ पुलिस ने मौके को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि बच्चा आखिरी बार पड़ोस में रहते वहां एक किशोर के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने तत्काल उस 15 वर्षीय लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी किशोर ने बताया कि वह शराब के नशे में था और उसी दौरान उसने बच्चे को तालाब में धुका दे दिया, जिससे उसकी गहका मौत हो गई। आरोपी के बयान के बाद पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। स्थानीय लोग इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं बच्चे के साथ कोई गलत काम तो नहीं किया गया। इस संभावना को देखते हुए पुलिस अन्व पहरियों से भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और अन्यथा की सत्यता जानकारी मिल पाएगी। बच्चे के पिता ने पुलिस को फोन कर सूचना दी थी कि उनके बेटे को पड़ोस में रहने वाले किशोर ने तालाब में डूबोकर मार डाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी नाबालिग है और उसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है कि सिंह, सीओ गोरखनाथ

### अदालती नोटिस

(देखें नियम-11 (1)) धरेंदू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना आदालत-श्रीमान सिविल जज (एफटीओ) एफटीओ/प्रथम महीनपुर सिद्धार्थनगर जिला-सिद्धार्थनगर

धरेंदू हिंसा परिवारवाद वार सं 0/70/2024 धाना-बासी जिला-सिद्धार्थनगर

उर्मिला देवी बनाम हरौराम आदि

1. हरौराम (ससुर) 2. लखपती पत्नी हरौराम (ससुर) 3. विष्णु गिरी पुत्री हरौराम (जेठान) 4. नीता गिरी पुत्री विष्णु गिरी (लेडान) 5. सोनी पत्नी अजय उर्फ रिंकू 6. विजय गिरी पुत्र हरौराम (पति) निवासिंग्राम मिठवन बाजार थाना बासी जिला सिद्धार्थनगर

—विपक्षीय

### तारीख पेशी 31-03-2026

यात्री ने धरेंदू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (अधिनियम 43) की धारा-12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदन द्वारा मौके के लिए (निर्देशों) को अपेक्षित रूप से कर दिया जाय और आपका प्रत्युत्तर प्रदान से माफ करने से प्रार्थना काउन्सिल के समय पेशी 31 मार्च 03 सन 2026 को देखे पूर्वानु/अपराह में इस न्यायालय के सम्म हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमें अप्रसन्न होने पर न्यायालय एक पेशी कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द० हाकिम

### वार्षिकोत्सव में झूमा बचपन: दिया संदेश

—भारतीय बस्ती संवाददाता-बनकट्टी (बस्ती)। श्री राम जानकी कन्या इंटर कॉलेज एवं एफएस्सजीबी कॉन्वेंट स्कूल महादेव पनार के परिसर में वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही खूबसूरत और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्ती मंडल के डीआईजी संजीव त्यागी (आईपीएस) थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना व दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में महेश शुक्ल (उपाध्यक्ष गोंसेवा आयोग, रायच नजी दर्जा, उत्तर प्रदेश सरकार), कुमुदी मिश्रा (सीओ सीबीटी), विष्णु पाठक (थानाध्यक्ष लालगंजी), कृष्ण चन्द्र सिंह, भवानी देवी (लॉक प्रोफेशनल), सुन्दर तिवाड़ी, अमय सिंह, आलोक चौधरी, अखिलेश सिंह, संकेत सिंह, रवि दूरे, विचंद्र पाण्डेय, दुरोध शुक्ला, विवेकानंद शुक्ल, जगन्नाथ शुक्ल तथा आर.पी. शुक्ल सहित कई लोग उपस्थित रहे।



### —शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव— संजीव त्यागी

मुख्य अतिथि डीआईजी संजीव त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व, संस्कार और आत्मविश्वास के विकास का महत्वपूर्ण मंच होता है। उन्होंने बच्चों को अनुशासन, मेहनत और संकारत्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

सिंह राठौर ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतिभावों भी बच्चों के सशक्त विकास के लिए आवश्यक हैं। विद्यालय परिवार समागत प्रयास करता है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और अच्छा वातावरण उपलब्ध करवा जा सके।

कार्यवाहक प्रबंधक रामायण सिंह ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वार्षिकोत्सव जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के अंदर छिपी प्रतिभा को सभी प्रदान करते हैं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के अंत में उज्ज्वल प्रदर्शन करते वाले बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में अभिभावकों, शिक्षकों और क्षेत्र के अनेक लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में उज्ज्वल प्रदर्शन करते वाले बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में अभिभावकों, शिक्षकों और क्षेत्र के अनेक लोग उपस्थित रहे।

विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति

विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति

### डीसीएम कार आपस में भिड़ो दो की मोत, दो घायल

संवाददाता-संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के लखनऊ गोरखपुर हाईवे रस्ताबाद पुलतन पर के पास सोलहवीं की मोर में डीसीएम और कार में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार चालक दो लोगों की मौत हो गई, वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। कार सवार सभी लोग लखनऊ में अतिथि पत्रकार सम्मान समारोह और होली कान्यक में शामिल होने के बाद वापस लखनऊ लौट रहे थे। लखनऊ के रामनाथ यादव ने बताया कि डीसीएम से लखनऊ की तरफ जा रही थी और अनियंत्रित ब्रैक ब्रेकिंग पर कार टक्कर हो गई। गोरखपुर की तरफ जा रही वेनासवार कार में जोरदार टक्कर मार दी।

जिससे कार में मौजूद कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जिससे कार में मौजूद कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### जानकारी के अनुसार गोरखनाथ क्षेत्र के हुमापुर उत्तरी में खाली जमीन पर असम से आए कई परिवार झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये लोग काढ़ड़ बीनकर अपना गुजारा करते हैं। इन्होंने रहने वाले अब्दुल का 9 वर्षीय बेटा मामिनूल हक रजिवाब थाना इफ्तार के बाद घर से निकाला था।

परिजनों के अनुसार वह पड़ोस में रहने वाले एक किशोर के साथ बगल गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लाता। बेटे के घर न लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस को उसके लापता होने की सूचना

### शबे कद्र हजार महीनों से बेहतर है— मौलाना अब्दुल रहमान

—भारतीय बस्ती संवाददाता-बनकट्टी (बस्ती)। पुलिस लाइन वस्ती के इमाम मौलाना अब्दुल रहमान ने बताया कि रमजान का मुकद्दस महीना रहमत, बरकत और माफ़गिरी का महीना है। इसी महीने में एक ऐसी मुबारक रात आती है जिसे शबे कद्र या लेल्लुल कद्र कहा जाता है। कुरआन करीम में इस रात की बड़ी फज़ीलत बयान की गई है और अल्लाह तआला परमतता है कि शबे कद्र हजार महीनों से बेहतर है।



उन्होंने कहा कि इसी मुबारक रात में कुरआन करीम नज़िल किया गया और इस रात की इबादत को हजार महीनों की इबादत से बेहतर बताया गया है।

मौलाना अब्दुल रहमान ने हदीस का हवाला देते हुए बताया कि हजारत अलैहिय वसल्लम से पूजा था कि अगर लेल्लुल कद्र मिल जाए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहिय वसल्लम ने यह दुआ सिखाई— अल्लाहुम्मा इन्नाक अफुकुनु लुड्दुबुल अयाफ़ कुफ़ुकुनु। अर्थात् ऐ अल्लाह! बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करना पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ़ फरमा दे।

### फातिमा बाईयास पर बेशकीमती जमीन पर अर्थ कक्षा

संवाददाता-गोरखपुर। ईद सख्खा 54 सारिताम नगर वाई की कीर्णवत यादव ने सोमवार को महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव एवं नगर आयुक्त गौरव सिंघाणवाल को पत्र लिखकर नगर निगम की जमीन पर किए जा रहे अर्थ कक्षा को रोकने की मांग की। सारिता ने बताया कि जंगल सालिकराम में स्थित अर्थ कक्षा संख्या 242 रकबा 0.077 हेक्टेयर भूमि खालिहान सम्यति नगर निगम के नाम पर है। राजस्व अभिलेख में दर्ज यह भूमि का रकबा 0.016 हेक्टेयर फातिमा बाईयास से प्रमावित है। शेष बची 0.061 हेक्टेयर भूमि को एक व्यक्ति अपनी जमीन बता कर अर्थ कक्षा कर रहा है। इस बेशकीमती जमीन का सीमांकन ईमानदार अधिकारियों की संयुक्त टीम से कराया जाए।

### कार्यालय संयुक्त निदेशक औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती

पत्रांक 2031/ लेखा-पी०शा०/निविदा/2025-26/ बस्ती, दिनांक 12.03.2026

**अल्पकालीन निविदा**

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती के अधीन सवालित समस्त प्रक्षेत्रों, पर नये ड्रिप लाइन लगाने पुराने ड्रिप लाइन को बदलने तथा सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने तथा आटोमेशन के मरम्मत करने आदि कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों / संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है—

निविदाक्रमांक	निविदा का विवरण	निविदा समय सारणी
1	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 12.3.2026 से दिनांक 18.3.2026 को अपरान्ह 12.00 बजे तक कार्यालय कार्य दिवस में
2	निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि	दिनांक 18.3.2026 अपरान्ह 1.00 बजे तक
3	निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 18.3.2026 अपरान्ह 2.00 बजे से

निविदा दाता निविदा प्रपत्र के शुल्क के रूप में रु० 1000/- नगद / ड्राफ्ट तथा अर्न्समेंट के लिए रु० 10500.00 धनराशि का ड्राफ्ट / सावधि जमा जो कि संयुक्त निदेशक, औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती के पक्ष में देय हो। तकनीकी निविदा में सफल होने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

(अनीश कुमार श्रीवास्तव) संयुक्त निदेशक।

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### दैनिक भारतीय बस्ती

संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर

### अल्पकालीन निविदा

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती के अधीन सवालित समस्त प्रक्षेत्रों, पर नये ड्रिप लाइन लगाने पुराने ड्रिप लाइन को बदलने तथा सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने तथा आटोमेशन के मरम्मत करने आदि कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों / संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है—

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### दैनिक भारतीय बस्ती

संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर

### अल्पकालीन निविदा

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती के अधीन सवालित समस्त प्रक्षेत्रों, पर नये ड्रिप लाइन लगाने पुराने ड्रिप लाइन को बदलने तथा सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने तथा आटोमेशन के मरम्मत करने आदि कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों / संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है—

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### दैनिक भारतीय बस्ती

संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर

### अल्पकालीन निविदा

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती के अधीन सवालित समस्त प्रक्षेत्रों, पर नये ड्रिप लाइन लगाने पुराने ड्रिप लाइन को बदलने तथा सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने तथा आटोमेशन के मरम्मत करने आदि कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों / संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है—

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### दैनिक भारतीय बस्ती

संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर

### अल्पकालीन निविदा

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती के अधीन सवालित समस्त प्रक्षेत्रों, पर नये ड्रिप लाइन लगाने पुराने ड्रिप लाइन को बदलने तथा सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने तथा आटोमेशन के मरम्मत करने आदि कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों / संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है—

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-सिविल जज (सीओ डि) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

### दैनिक भारतीय बस्ती

संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर

### अल्पकालीन निविदा

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती के अधीन सवालित समस्त प्रक्षेत्रों, पर नये ड्रिप लाइन लगाने पुराने ड्रिप लाइन को बदलने तथा सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने तथा आटोमेशन के मरम्मत करने आदि कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों / संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है—

### अदालती नोटिस

प्रारूप 7 (देखें नियम-11 (1)) धरेंदू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना आदालत-श्रीमान जेएनएम/ एफटीओ सीओ (सीएफओडब्ल्यू) महादेव बस्ती जिला-बस्ती

धरेंदू हिंसा परिवारवाद वार सं 0/70/2024 धाना-कप्तानगंज जिला-बस्ती

अनीशा बनाम अरविन्द कुमार आदि

1. अरविन्द कुमार पुत्र मोतीलाल 2. मोतीलाल पुत्र अज्ञात 3. शिवारानी पत्नी मोतीलाल 4. उमेश पुत्र मोतीलाल 5. दशरथ पुत्र मोतीलाल 6. राकेश पुत्र मोतीलाल 7. प्रीती पत्नी दशरथ 8. आरती पत्नी अज्ञात निवासिंग्राम आम बजार थाना इफ्तार धाना कप्तानगंज जिला बस्ती

### तारीख पेशी 12-04-2026

यात्री ने धरेंदू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (अधिनियम 43) की धारा-12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदन द्वारा मौके के लिए (निर्देशों) को अपेक्षित रूप से कर दिया जाय और आपका प्रत्युत्तर प्रदान से माफ करने से प्रार्थना काउन्सिल के समय पेशी 12 मार्च 04 सन 2026 को देखे पूर्वानु/अपराह में इस न्यायालय के सम्म हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमें अप्रसन्न होने पर न्यायालय एक पेशी कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

### अदालती नोटिस

सम्मान वारंसे करारवाद उमूर तनकीह तलब (आईड 5 कायदा 4) न्यायालय-श्रीमान द्वितीय अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला-बस्ती

सिविल निगरानी सं०-56/2024 मूलवाद सं०-109/88

बनाम मोहम्मद खलील आदि

जिस में 5/1 हरकतियां सं० 65 साल पत्नी हरमुमूलाह 5/2 - मोह सं० उम्र लामगा 50 साल 5/3-फखरुद्दीन उम्र 45 साल 5/4-समुदुद्दीन उम्र 38 साल 5/5-सालवुद्दीन उम्र 36 साल 5/6-मुनीम उम्र 34 साल 5/7-मनुजिम उम्र 36 साल 5/8-नाजिया सकिनाम मंड्या वाद सं० 4-नगर पालिका परिषद खलीलाबाद तप्पा दरिहन बस्ती परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर तारीख पेशी 02-04-2026

हरहाग मुदरई न एक

नालिश ईद अदालत में बतारीख माह सन 20 ई० बस्ती मुददाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की नौत हरहाग मुदरई में एक दरखास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुत्वाक मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बतारीख उसके मुददाअलेह बनाये जाय। लिहाजा आपको हुम होला है कि बतारीख 02 माह 04 सन 2026 ई० बस्ती होकर मुकदमा मजकूर जावबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर